जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. **योजना का नाम— बालिका आर्शीवाद योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131—2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय / राज्य / जिला / अन्य— राज्य
9. **योजना का संक्षिप्त विवरण**—निर्माण श्रमिक को कम से कम 01 वर्ष तक बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक हैं। परिवार में जन्मी प्रथम बालिका को एवं दूसरी बालिका को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। जिसके अन्तर्गत बीस हजार एफ0डी0 के माध्यम से दिया जायेगा जो बतौर सावधि 18 वर्ष के लिये जमा होगा। बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में दिया जायेगा।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— **1**—इस योजना के अन्तर्गत अपनी संतान न होने की स्थिति में बालिका को कानूनी रूप से गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुये अन्य शर्तो के यथावत रहने की स्थिति में योजना का लाभ अनुमन्य होगा। 2—यदि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व संबंधित पुत्री का यदि निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हितलाभ अनुमन्य नहीं होगा और सावधि जमा की धनराशि कल्याण बोर्ड के कोष में वापस हो जायेगी। 3— संबंधित बालिका को भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य योजना का लाभ प्रदत्त न किया गया हो। 4— सावधि जमा (फिक्सड डिपॉजिट) संबंधित बालिका के नाम से द्वारा माता पिता / संरक्षक के नाम से बनाया जायेगा और बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा उसके उस अवधि तक अविवाहित रहने की स्थिति में संबंधित बालिका द्वारा धनराशि जिले के जिलाधिकारी के अग्रसारण से ही संबंधित बैंक से प्राप्त की जा सकेगी। सावधि जमा की गई धनराशि जिले के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उच्च ब्याज दर वाली योजना में रखी जायेगी। 5— जहां पति एवं पत्नी दोनों ही पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक है तो उन दोनों में से किसी एक को ही यह हितलाभ सुलभ हो सकेगा। 6— परिवार समीपस्थ आंगनबाडी केन्द्र पर बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। 7— बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8— अभिलेख— पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आंगबाडी केन्द्र प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / अल्पसंख्यक / विकलांग / सामान्य जाति / सीममान्त किसान / बी0पी0एल0 / ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रकिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र / फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र / फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र / फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131—2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी / शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष / टोल फ्री नम्बर / ई—मेल— 0131—2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. **योजना का नाम– पुत्री विवाह अनुदान योजना**
2. सम्बन्धित विभाग का नाम– श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम– श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता– कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष– 0131–2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि– 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि–
8. योजना का प्रकार–केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य– राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण– विवाह की नियत तिथि से दो माह पूर्व से कम अवधि तथा विवाह सम्पन्न होने के छः माह तक बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत रू0 40,000/– की प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। इस योजना का लाभ कम से कम 05 नियमित अंशदान जमा करने के पश्चात लाभ दिया जायेगा।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता**– 1–**इस योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक की केवल एक पुत्री को ही सुलभ होगी परन्तु यदि उसके कुल दो बच्चों में दोनो ही पुत्रियां है तो आर्थिक सहायता दोनों पुत्रियों के विवाह हेतु अनुमन्य होगा। 2– **अभिलेख**– पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह कार्ड जो स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार/सभासद/पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित हो, पुत्री यदि गोद ली हुई है तो उससे सम्बन्धित यथा प्रमाणित एवं सत्यापित अभिलेख, पुत्री तथा प्रस्तावित वर का आयु प्रमाण–पत्र उन्होनें क्रमशः 18 वर्ष एवं 21 वर्ष की आयु (विवाह की नियम तिथि को) पूर्ण कर ली है, परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति/स्कूल, लीविंग सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, लाभार्थी श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर की अभिप्रमाणित प्रति।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है–**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/ सामान्य जाति/सीममान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0**
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया– क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान– कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क– निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण– क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस– प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम– सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर–0131–2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई–मेल– 0131–2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस– www.uplabour.nic.in

(वन्दना)
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।